

अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील/रेफरेंस/विधि प्रार्थना पत्र संख्या 482/26 (CIS NO. 482/46)

राजेश ताखर

बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

अपील सं०- 482/2026

राजेश ताखर बनाम जविप्रा

दिनांक 04.06.2026

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एस. सोलंकी उपस्थित। जविप्रा की ओर से अधिवक्ता श्री समक्ष दासोत उपस्थित। जविप्रा की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। नकल दिलाई गई।

2. बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. जविप्रा द्वारा दिनांक 26.05.2026 को अपीलार्थी को जविप्रा अधिनियम, 1982 की धारा 32 का नोटिस दिया जाकर यह आक्षेपित किया कि अपीलार्थी द्वारा अनुमोदित योजना महावीर नगर के भूखण्ड सं० 377 में 80' रोड की तरफ 48.9' बाई 20' फीट में मेडिकल जूस चाय आदि की दुकानों का निर्माण कर व्यावसायिक कर रहे हैं। 60' रोड की तरफ 48' बाई 21' फीट में टीनशेड लगाकर व्यावसायिक उपयोग में ले रहे हैं। सेटबैक में एवं आवासीय भूखण्ड में व्यावसायिक कार्य किया जा रहा है जो अवैध है। उक्त नोटिस जारी कर अपीलार्थी से यह अपेक्षित किया गया कि वह अपने अतिक्रमण को हटा लेवे और यदि कुछ आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति दिनांक 01.06.2026 तक पेश करे ताकि आपत्ति पर समुचित निर्णय किया जा सके।

4. उक्त नोटिस से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई तथा जविप्रा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है। अपीलाधीन नोटिस के माध्यम से अपीलार्थी को जविप्रा द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अपीलार्थी उक्त नोटिस के प्रतिउत्तर में अपना जवाब व सुसंगत दस्तावेजों के माध्यम से अपने निर्माण की वैधानिकता को प्रमाणित व साबित कर सकता है। इस प्रक्रम पर जब प्राधिकरण द्वारा विधिक प्रक्रिया आरंभ करते हुये अपीलार्थी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान किया गया है तो इस अधिकरण का हस्तक्षेप गुण-दोषों पर कोई अभिमत दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः यह अपील निम्न निर्देशों के साथ निस्तारित की जाती है:-

- अपीलार्थी आदेश दिनांक से 15 दिन के भीतर नोटिस धारा 32 जविप्रा अधिनियम के नोटिस के सम्बन्ध में अपनी आपत्तियां/जवाब व सुसंगत दस्तावेज प्रत्यर्थी के संबंधित जोन उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- अपीलार्थी द्वारा इस विहित समयवधि में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह उपधारित किया जा सकेगा।

अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील/रेफरेंस/विविध प्रार्थना पत्र संख्या ५४२/४६ (CIS NO. ५४२/४६)

राजेश नारवा बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

कि वह इस नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखना नहीं चाहता हैं।

- अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी द्वारा विस्तृत कारण अंकित करते हुए अपना निर्णय अविलंब पारित करें तथा उक्त निर्णय से अपीलार्थी को अवगत करावें।
- इस विधिक प्रक्रिया/कार्यवाही के लम्बित रहने तक अपीलार्थी किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करेगा और प्रश्नगत भूमि पर बिना भू-रूपांतरण कराये कोई व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं करेगा, साथ ही कार्यवाही पूर्ण होने तक, प्रत्यर्थी द्वारा भी विवादित निर्माण कार्य को किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त, ध्वस्त अथवा सील नहीं किया जावेगा।
- यदि जविप्रा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध कोई आदेश/विधिक नोटिस दिया जाता है तो निर्माण हटाने हेतु उसे न्यूनतम सात दिन का अवसर प्रदान किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 04.06.2026 को खुले न्यायाधिकरण में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया। इस निर्णय की प्रमाणित प्रति सचिव जविप्रा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।